संख्या-4/5 /चालीस-2012-17(27)/89

प्रेषक,

नेत राम
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

लखनऊः दिनांक 14 जून, 2012

विषयः जिला एकीकरण समितियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के अन्तगर्त निर्गत किये गये समस्त आदेशों/निदेशों को अतिक्रमित करते हुये श्री राज्यपाल महोदय जिला एकीकरण समितियों को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार पुर्नगठित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।-

1--अध्यक्ष, जिला पंचायत —अध्यक्ष
2- जनपद के समस्त माननीय सांसद/विधायकगण —सदस्यगण
3-जिलाधिकारी —सदस्य
4-जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक —सदस्य
5- जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी —सदस्य
6- जिला विद्यालय निरीक्षक —सदस्य
7- जिला स्तरीय आर्मिक समूहों के प्रमुख —सदस्य
8- जिला सूचना अधिकारी —सदस्य

9- जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत तथा अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित समाज के विभिन्न क्षेत्रों यथा-शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, मीडिया, साहित्यकार, श्रमिक, उद्यमी, व्यापारी, महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, स्वैच्छिक संगठन आदि के 10 (दस) प्रतिनिधि —सदस्यगण

10-मुख्य विकास अधिकारी —सदस्य- पदेन

2-जिला एकीकरण समितियों का कार्यक्षेत्र-

(1) राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र की भावना को बनाये रखने तथा साम्प्रदायिक एकता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण निरंतर कायम रखने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनार्थ सुझाव देना जिनमें नागरिक विशेषकर श्रमिक, उद्यमी, छात्र, शिक्षक, कलाकार एवं महिलायें भाग ले सकें। इस हेतु प्रमुख सचिव

एवं उत्सवों जैसे रक्षाबन्धन, होली, दीवाली, ईद, बकरीद, क्रिसमस–डे तथा वसंत आदि सामूहिक रूप से मनाने की व्यवस्था करना। इन अवसरों पर स्वतंत्रता सेनानी एवं ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु अपनी जान को खतरे में डाल कर दूसरे सम्प्रदाय के सदस्यों की जान बचाई हो तथा अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी पुरस्कृत किये गये नागरिकों को आमंत्रित कर सम्मानित करना ताकि समाज के अन्य वर्ग प्रेरणा लें। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोकनृत्य, लोकगीत एवं कठपुतली नृत्य आदि को स्थानीय प्रतिष्ठित जन को सक्रिय करके जिले के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम विशेष रूप से जनपद के संवेदनशील इलाकों में आयोजित करना।

(2) राज्य एकीकरण परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(3) गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों का राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति एवं साम्प्रदायिक सहिष्णुता तथा सद्भावना बढ़ाने में सक्रिय योगदान सुनिश्चित करना। इस हेतु राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की योजनायें, जिनके अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है, का व्यापक प्रचार व प्रसार सुनिश्चित करना ताकि ऐसी अधिक से अधिक संस्थायें व व्यक्ति राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति में सक्रिय योगदान कर सकें।

(4) उपरोक्त योजनाओं में पर्याप्त लाभ निष्पक्ष एवं समान रूप से अल्पसंख्यकों एवं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सुलभ होने में कठिनाई अथवा परिवाद उत्पन्न हुये हों तो उन्हें समिति के संज्ञान में लाकर उनके निराकरण हेतु रचनात्मक सुझाव देना।

(5) देश की सुरक्षा अथवा अखण्डता प्रभावित होने पर समस्त नागरिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु सुझाव देना।

(6) ऐसे सक्रिय उपाय करना एवं प्रयास जारी रखना ताकि साम्प्रदायिकता तथा विघटनकारी शक्तियाँ सक्रिय न होने पायें एवं झगड़े उत्पन्न न हों।

(7) राष्ट्रीय एकता की अभिवृद्धि में हानिकारक प्रवृत्तियों को समाप्त करने हेतु प्रशासन को सुझाव देना। इसके बावजूद झगड़े एवं दंगे हो जाने पर शान्ति कायम करने हेतु जिला प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग देना।

3. जिला एकीकरण समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी सदस्य–सचिव की होगी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति शासन के अवलोकनार्थ प्रेषित की जायेगी।

4. जिला एकीकरण समिति की बैठकों हेतु वित्तीय स्वीकृति पृथक से जारी की जायेगी।

भवदीय,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
2. मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी।
4. [illegible]
5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/सूचना/न्याय/संस्कृति/ग्राम्य विकास/श्रम/पर्यटन/समाज कल्याण/पंचायती राज/युवा कल्याण/महिला एवं बाल विकास/नागरिक सुरक्षा/आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव।